

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20122023-250762
SG-DL-E-20122023-250762असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2023/ अग्रहायण 28, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 340
No. 368]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2023/ AGRAHAYANA 28, 1945	[N. C. T. D. No. 340

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023

फा. सं. 05(626)/अभि0/वि0, न्या0 एवं विधा0 मा0/2022/11901-11950 दिनांक: 19.12.2023.—
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में किसी भी अभियोजन, अपील अथवा अन्य कार्यवाहियों के संचालन हेतु अपर लोक अभियोजक के रूप में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं:

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	के रूप में नियुक्त
1	किरन बैरवा	अपर लोक अभियोजक
2	नवल किषोर झा	अपर लोक अभियोजक

- 2 ये नियुक्ति समय-समय पर यथानिर्धारित ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन होंगी।
3 यह अधिसूचना आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभावी होगी।

4. उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उपरोक्त अधिवक्ताओं को वचनबंध देना होगा कि वह राज्य पैनल वकील के रूप में उन्हें सौंपे गए मामलों के अलावा जहां राज्य के हित सम्मिलित होंगे, ऐसे आपराधिक मामलों में केस को स्वीकार नहीं करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पुनीत नागपाल, अतिरिक्त सचिव (विधि)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 19th December, 2023

F. No. 5(626)/Lit./LJ&LA/2022/11901-11950 dated: 19.12.2023.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 24 of Criminal Procedure Code, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Hon'ble High Court of Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Additional Public Prosecutor for conducting any prosecution, appeal or other proceedings in the High Court of Delhi till further orders:

Sl. No.	Name of the Advocate	Appointed as
01	Ms. Kiran Bairwa	Additional Public Prosecutor
02	Sh. Nawal Kishore Jha	Additional Public Prosecutor

2. This appointment shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.
3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.
4. The above appointment shall be subject to the condition that an undertaking is given by the above advocates that they would not accept brief in any Criminal matters where the State's interest is involved, except those entrusted to them as State panel lawyer.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,
PUNEET NAGPAL, Addl. Secy. (Law)